



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786- /अ.मंडल /अका. /2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिंदी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. राजेश श्रीवास, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय, नवापारा राजिम
2. डॉ. एन.के. वर्मा, शास. जी.एन.ए. महाविद्यालय, भाटापारा |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. किरण अग्रवाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास महा., रायपुर
2. डॉ. सीमा चन्द्राकर, गुरुकुल महिला महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
2. डॉ. गिरजा शंकर गौतम, मूलविज्ञान केंद्र, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी. से डॉ. एन.के. वर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार




कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल /अका. /2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लाक-सी 30 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी(अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-2/अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. प्रो. श्रुति झा, शास. महा., पिथौरा
2. डॉ. पी.सी.चौधरी, बी.सी.एस. शास. स्नातकोत्तर महा., धमतरी |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. सुषमा तिवारी, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर
2. डॉ. दिव्या चतुर्वेदी, शास. महाविद्यालय, अभनपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. मधु कामरा, दुर्गा महा., रायपुर
2. डॉ. स्मिता शर्मा, मूलविज्ञान केंद्र, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. पी.सी. चौधरी को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

17.11.20
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लॉक-सी 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क. अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-3/अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. सत्येन्दु शर्मा, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. विद्याकांत त्रिपाठी, श्री रामेश्वर गहिरागुरु संस्कृत महा., सामरवार, जशपुर
2. डॉ. विष्णु मणिधर दुबे, श्री रामेश्वर गहिरागुरु संस्कृत महा., सामरवार, जशपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. सत्येन्दु शर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी-30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी(अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-4/अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत भाषाविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. शैल शर्मा, साहित्य एवं भाषा अ.शाला पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अ.शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. शैल शर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-5 / अ.मंडल / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. भगवंत सिंह, दर्शनशास्त्र अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. आशा चौधरी, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. श्री जगेलाल गहरे, दर्शनशास्त्र अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. लक्ष्मीकांत साहू, महंत ल.ना.दास महा., रायपुर
2. डॉ. रंजना शर्मा, दुर्गा महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. भगवंत सिंह को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 / अ.मंडल / अका. / 2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-6 / अ.मंडल / अका. / 2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत प्राच्य संस्कृत (क्लासिक्स) अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. बहुरन सिंह पटेल, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महा., रायपुर
2. डॉ. रामकिशोर मिश्र, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महा., रायपुर |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. शिवेश्वर उपाध्याय, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महा., रायपुर
2. डॉ. राघवेन्द्र शर्मा, शासकीय डी.एस.व्ही. संस्कृत पीजी महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. बहुरन सिंह पटेल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 / अ.मंडल / अका. / 2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क. अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

787-7

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. माया वर्मा, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. श्री संतु राम कश्यप, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अ.शाला पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. हरीश कुमार साहू, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अ.शाला पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. माया वर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-8

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत उर्दू अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. आश्मा सईद, दुर्गा महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने आश्मा सईद को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-9 / अ.मंडल / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संगीत अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. व्ही.व्ही. जोशी, शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर
2. डॉ. विनिता साहू, शास.दू.ब. महिला महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. स्वपनिल कर्महे, शास. दू.ब.महिला महा., रायपुर
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. व्ही.व्ही. जोशी को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 767 / अ.मंडल / अका. / 2020
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-10

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. मीना पाठक, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर रायपुर
2. डॉ. ए. राजपुरिया, शास. स्नातकोत्तर महा., धमतरी |
| 28 (2) (iii) | 1. डॉ. निस्तर कुजूर, समाजशास्त्र अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (iv) | 1. श्रीमती साहिना जबीन, महंत ल.ना.दास, महाविद्यालय, रायपुर
2. डॉ. श्रीमती तरशीला खाखा, शास. महा., अभनपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शाला पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. मंजू गायकवाड, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. मीना पाठक को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 766-11 / अ.मंडल / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. एस.एस. दीवान, शास. महा., पिथौरा
2. डॉ. आर.के. तलवरे, शास. स्नातकोत्तर महा., गरियाबंद |
| 28 (2) (iii) | 1. रिक्त |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. निशा शर्मा, शास. गजानंद अग्रवाल महा., भाटापारा
2. श्री राकेश डेधगढ़े, महंत लक्ष्मीनारायण दास महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. श्रीमती शिल्पी बोस, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. डॉ. ए.के. चन्द्राकर, दुर्गा महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एस.एस. दीवान को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 767 / अ.मंडल / अका. / 2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

786-12

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i)
1. डॉ. रोहिणी प्रसाद, अर्थशास्त्र अ.शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
 2. डॉ. अमरकांत पाण्डेय, अर्थशास्त्र अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
 3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अ.शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii)
1. डॉ. प्रीति पांडे, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर
 2. डॉ. गीता गुप्ता, शास. महाविद्यालय, कोहका नेवरा
- 28 (2) (iii)
1. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शाला पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (iv)
1. डॉ. पी.के. रवि, शास. महा., पिथौरा
 2. डॉ. अर्चना मोदक, महंत लक्ष्मीनारायण दास महा., रायपुर
- 28 (2) (v)
1. डॉ. अर्चना सेठी, अर्थशास्त्र अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
 2. डॉ. वत्सला मिश्रा, शास.दू.ब. महिला महा., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. रोहिणी प्रसाद को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-13

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. बशीर हसन, मनोविज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. प्रियंवदा श्रीवास्तव, मनोविज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
3. डॉ. मीता झा, मनोविज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
4. डॉ. प्रभावती शुक्ला, मनोविज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. डॉ. उषा किरण अग्रवाल, शास. कला/वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर रायपुर
2. डॉ. ऋचा शर्मा, शास. दू.ब.महिला महा., रायपुर
- 28 (2) (iii) 1. निरंक
- 28 (2) (iv) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (v) 1. डॉ. अंजना पुरोहित, शास. कला/वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर
2. श्रीमती अनामिका मोदी, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. प्रभावती शुक्ला को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 767/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी, 30 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

786-14

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार, प्रा.भा.इतिहास अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. ए.के. परसाई, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. नितेश मिश्रा, प्रा.भा.इतिहास अ.शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. दिनेश नंदिनी परिहार को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

786-15

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत इतिहास अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल, इतिहास अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. एस.एस. तिवारी, शास.महा., पिथौरा
2. डॉ. एस.एस. गौर, शास. छत्तीसगढ़. महा., रायपुर |
| 28 (2) (iii) | 1. रिक्त |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. हूब लाल साहू, गुरुकुल महा., मगरलोड़
2. डॉ. मनोज शुक्ला, शास. डी. एस. व्ही. संस्कृत महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. डिश्वर नाथ खुंटे इतिहास अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. श्री राजेश शुक्ला, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. आभा रूपेन्द्र पाल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार




कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

786-16

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. अनुसुईया बघेल, भूगोल अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. एन.के. बाघमार, भूगोल अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
3. डॉ. उमा गोले, भूगोल अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. डॉ. अमृत लाल पटेल, शास.महा., सरायपाली
2. डॉ. राजेश्वर कुमार वर्मा, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा राजिम
- 28 (2) (iii) 1. रिक्त
- 28 (2) (iv) 1. डॉ. अरुण प्रकाश, शास. महा., अभनपुर
2. श्री संतु राम दर्रो, शास. महा., नगरी
- 28 (2) (v) 1. डॉ. संजय कुमार, शास. दू.ब.महिला महा., रायपुर
2. डॉ. एल.आर. डोंगरे, शास. महा., भखारा, धमतरी

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. अनुसुईया बघेल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी-3,0 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

786-17

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत रक्षा अध्ययन अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. पी.के. कड़वे, शास. विज्ञान महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. पी.के. कड़वे को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।


आदेशानुसार


कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर, ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-18

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिकी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. नमिता ब्रह्मे, भौतिकी अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. दुर्गा प्रसाद बिसेन, भौतिकी अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. डॉ. गोवर्धन यदु, शास. राजीवलोचन महा., राजिम
2. डॉ. एम.एल. वर्मा, शास.दू.ब. महिला महा., रायपुर
- 28 (2) (iii) 1. डॉ. श्रीमती अनुभा सिंह गौर, भौतिकी अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (iv) 1. डॉ. रवि शर्मा, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर रायपुर
2. डॉ. प्रफुल्ल कुमार व्यास, दिशा महाविद्यालय, रायपुर
- 28 (2) (v) 1. डॉ. युगल किशोर महिपाल, भौतिकी अ.शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. श्री लक्ष्मीकांत, मूलविज्ञान केंद्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. दुर्गा प्रसाद बिसेन को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

786-19

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i)
1. डॉ. के.के. घोष, रसायन अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
 2. डॉ. एम.के. देब, रसायन अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
 3. डॉ. शम्स परवेज, रसायन अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii)
1. डॉ. एस.पी. जगन्नाथ, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा राजिम
 2. डॉ. अरूण कुमार मिश्रा, शास. विज्ञान महा., रायपुर
- 28 (2) (iii)
1. डॉ. मनीष राय, रसायन अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (iv)
1. डॉ. दीपा पाण्डेय, चतुर्वेदी, शास. महा., अभनपुर
 2. श्रीमती मौसमी लहरे, शास. गजानंद अग्रवाल महा., भाटापारा
- 28 (2) (v)
1. श्री इन्द्रपाल करभाल, रसायन अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
 2. डॉ. भानूश्री गुप्ता, मूलविज्ञान केंद्र, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. शम्स परवेज को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 767 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी, 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क. अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-20

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत सांख्यिकी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. व्यास दुबे, सांख्यिकी अध्ययन शाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |
| | 2. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक |
| | 2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक |
| | 2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक |
| | 2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. व्यास दुबे को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार




कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: 786-21 / अ.मंडल / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत इलेक्ट्रानिक्स अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. संजय तिवारी, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
2. डॉ. कविता ठाकुर, इलेक्ट्रानिक्स अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. कविता ठाकुर को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787 / अ.मंडल / अका. / 2020
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी, 30 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क. अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-22

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. निनाद बोधनकर, भूविज्ञान अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
2. डॉ. के.आर. हरि, भूविज्ञान अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. एस.एस. भदौरिया, शास. विज्ञान महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. के.आर. हरि को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार




कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-23

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. बी.एस. ठाकुर, गणित अ.शाला, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. रूपा सल्होत्रा, शास. डॉ. राधाबाई नवीन कन्या महा., रायपुर
2. डॉ. अजय कुमार शर्मा, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा राजिम |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. श्रीमती नम्रता श्रीवास्तव, शास. महा., अभनपुर
2. श्री जयेश करंजगाँवकर, शास. महा., नगरी |
| 28 (2) (v) | 1. श्रीमती दीप्ति ठाकुर, गणित अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. हेम लाल साहू, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. बी.एस. ठाकुर को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार



17.11.20

कुलसचिव

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

786-24

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. श्री कृष्ण मुरली साहू, पं.हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., रायपुर
2. श्रीमती योगेश्वरी पाल, शास. विज्ञान महा., रायपुर
- 28 (2) (iii) 1. निरंक
- 28 (2) (iv) 1. श्री प्रेम कुमार चन्द्राकर, महंत लक्ष्मी नारायण दास महा., रायपुर
2. श्री विकास शर्मा, अग्रसेन महा., पुरानी बस्ती रायपुर
- 28 (2) (v) 1. डॉ. व्ही.के. पटले, कम्प्यूटर अ.शाला, पं रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. स्वाति जैन, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महा., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. संजय कुमार को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 767 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

786-25

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. श्रीमती एस. चक्रवर्ती, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. डॉ. सुरेंद्र कुमार गौतम, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा राजिम |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. संध्या लांजेवार, शास. महा., कोहका नेवरा
2. डॉ. जीतेंद्र यादव, शास. जी.एन.ए. महावि, भाटापारा |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. अरुणा श्रीवास्तव, शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर
2. डॉ. वीणू जोशी, मूलविज्ञान केंद्र, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. श्रीमती एस. चक्रवर्ती को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

786:26

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत जंतुविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. परमिता दूबे, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. डॉ. अश्विन आर. निचत, शास. पीजी महा., भखारा |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. स्वाति साहू, शास. महा., अभनपुर
2. श्रीमती संगीता बंजारे, शास. महा., कोहका नेवरा |
| 28 (2) (v) | 1. श्री हित नारायण टंडन, शास. महा., देवभोग
2. डॉ. रिचा टिकरिहा, शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. परमिता दूबे को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30. द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-27

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोसाइंस अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. ए.के. गुप्ता, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. एस. के. प्रसाद, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
3. डॉ. आर. के. प्रधान, बायोसाइंस अ.शाला, पं. विशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
4. डॉ. अदिती पोद्दार, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
5. डॉ. आरती परगनिहा, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (iii) 1. डॉ. अमिया एक्का, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (iv) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (v) 1. डॉ. मनोज कुमार पटेल, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. श्री लभ्स प्रभास, बायोसाइंस अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एस.के. प्रसाद को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लॉक-सी 30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अयोषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

786-28

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत माइक्रोबायोलॉजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. संध्या जायसवाल, शास. विज्ञान महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. संध्या जायसवाल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी, 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-29

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोकेमिस्ट्री अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. मृगेन्द्र द्रिवेदी, शास. विज्ञान महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. निरंक
2. निरंक |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. मृगेन्द्र द्रिवेदी को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी, 30 द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-30

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान संकाय के अंतर्गत मानवविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. मोयना चक्रवर्ती, मानवविज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. अशोक प्रधान, मानवविज्ञान अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. डॉ. डी.के. वर्मा, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर
2. निरंक
- 28 (2) (iii) 1. डॉ. जितेन्द्र कुमार प्रेमी, मानवविज्ञान अ.शाला पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि, रायपुर
- 28 (2) (iv) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (v) 1. डॉ. शैलेंद्र कुमार, मानवविज्ञान अ.शाला पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि, रायपुर
2. डॉ. निरजा सेन, शास. छत्तीसगढ़ महा., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. मोयना चक्रवर्ती को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17 .11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को।
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को।
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-3)

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोटेक्नालॉजी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. एस.के. जाधव, बायोटेक. अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. केशवकांत साहू, बायोटेक. अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. संजना भगत, शास. विज्ञान महा., रायपुर
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. श्री खूब चंद वर्मा, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महावि., नवापारा राजिम
2. डॉ. नागेंद्र कुमार चंद्रवंशी, बायोटेक. अ.शाला, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एस.के. जाधव को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक सी-30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-32

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. प्रो. आशुतोष गोयल, शास. राजीवलोचन महा., राजिम
2. डॉ. राजेश अग्रवाल, गुरुकुल महिला महा., रायपुर |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. डॉ. डी.के. वर्मा, शासकीय महावि., खरोरा
2. डॉ. ललित मोहन वर्मा, महंत लक्ष्मी नारायण दास महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. ध्रुव कुमार पांडे, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि., रायपुर
2. डॉ. सरला जैन, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने प्रो. आशुतोष गोयल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-33

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शिक्षा अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. श्रीमती हेमलता साहू, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा., नवापारा राजिम
2. डॉ. पुष्पेश पांडे, पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महा., रायपुर |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. श्रीमती लक्ष्मी सोनेकर, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रायपुर
2. डॉ. सौम्या तिवारी, दिशा महावि., रामनगर कोटा, रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. संजीवनी ठाकुर, दुर्गा महाविद्यालय, रायपुर
2. श्रीमती रेखा अग्रवाल, सेंट्रल कालेज ऑफ एजुकेशन, रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. पुष्पेश पांडे को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनित किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरमाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020
786-34

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के तकनीकी संकाय के अंतर्गत फार्मेसी अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. शैलेंद्र सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. स्वर्णलता सराफ, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
3. डॉ. प्रीति के. सुरेश, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (iii) 1. डॉ. संजय जे. डहरवाल, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (iv) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (v) 1. श्री राकेश तिर्की, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. मंजू सिंह, फार्मेसी संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. शैलेंद्र सराफ को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

766-35

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कड़िका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृहविज्ञान संकाय के अंतर्गत गृहविज्ञान अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|---|
| 28 (2) (i) | 1. निरंक |
| 28 (2) (ii) | 1. डॉ. ज्योति रवि तिवारी, शास. दू.ब.महिला महा., रायपुर
2. डॉ. संध्या वर्मा, शास. कला एवं वाणिज्य कन्या महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. श्रीमती पूर्णिमा साहू, शास. जी.एन.ए. महा., भाटापारा
2. निरंक |
| 28 (2) (v) | 1. श्रीमती प्रभा वर्मा, शास. कला एवं वाणिज्य महा., देवेन्द्र नगर, रायपुर
2. श्रीमती अल्का वर्मा, शास. दू.ब. महिला महा., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. संध्या वर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

पृ.क्रमांक: 767/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30, द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क. अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

764-36

रायपुर, दिनांक : / > .11.2020

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के प्रबंध संकाय के अंतर्गत प्रबंध अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- | | |
|--------------|--|
| 28 (2) (i) | 1. डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |
| 28 (2) (ii) | 1. निरंक
2. निरंक |
| 28 (2) (iii) | 1. निरंक |
| 28 (2) (iv) | 1. श्री गौरव लोहाना, जेनेसिस महा., धमतरी
2. श्री सुधीर जैन, महंत लक्ष्मी नारायण दास महा., रायपुर |
| 28 (2) (v) | 1. डॉ. गोपाल कृष्ण देशमुख, प्रबंधन संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर
2. डॉ. संस्कृति जोसेफ, प्रबंधन संस्थान, पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर |

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

रायपुर दिनांक : / 17 .11.2020

पृ. क्रमांक: 767 /अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वि.क.अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक: /अ.मंडल/अका./2020

रायपुर, दिनांक : 17.11.2020

786-37

// अधिसूचना //


विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संकाय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा अध्ययन मंडल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है :-

- 28 (2) (i) 1. डॉ. रीता वेणुगोपाल, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
2. डॉ. सी.डी. अगाशे, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
3. डॉ. राजीव चौधरी, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर
- 28 (2) (ii) 1. निरंक
2. निरंक
- 28 (2) (iii) 1. निरंक
- 28 (2) (iv) 1. डॉ. आशीष दीवान, नेताजी सुभाष महा. बेलभाठा, अभनपुर
2. निरंक
- 28 (2) (v) 1. निरंक
2. निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 (3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. रीता वेणुगोपाल को अध्यक्ष, अध्ययन मंडल मनोनीत किया है।

अध्ययन मंडल का कार्यकाल अधिसूचना के निर्गमन तिथि से आगामी तीन वर्ष के लिए होगा।

आदेशानुसार


17.11.20


कुलसचिव

रायपुर दिनांक : 17.11.2020

पृ. क्रमांक: 787/अ.मंडल/अका./2020

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर ब्लाक-सी 30 द्वितीय तल इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
2. संबंधित सदस्यों को
3. संबंधित संकायाध्यक्षों को
4. स.कु.स.परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय
5. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं.रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वि.क.अधिकारी (अका.)